न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 12/2021

1. छज्जूराम
2. हरिओम पिसरान नत्थीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

2. भगवती पत्नि कैलाश चन्द
3. मनोज
4. विशाल पिसरान कैलाश चन्द
5. मिथलेश पुत्री कैलाश चन्द
6. रोहित पुत्र कैलाश चन्द नाबालिग जरिये संरक्षक माता भगवती पत्नि कैलाश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी भरतपुर ।
7. गुड्डी
8. इन्द्रा
9. कुसुम
10. पिंकी पुत्रीयान लक्ष्मीदेवी
11. राजेश
12. जोगेन्द्र पिसरान लक्ष्मी देवी
13. सन्तोष
14. हीरा पिसरान हरचन्द लाल
15. शान्ति पत्नि हरचन्द लाल जाति ब्राह्मण निवासी नदबई तहसील नदबई

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :– 21/02/2022

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 129/0.79, हाल खसरा नम्बर 180/0.

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

79 बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 नाबालिग है जो अपनी माता भगवती के संरक्षण में परवरिश पा रहा है। आराजी मुत0 में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 15 के समान हक है। वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं नत्थी लाल पुत्र किशोरी लाल के वारिस है मृत्तक नत्थीलाल के वादीगण संख्या 1 व 2 तथा मृत्तक कैलाश, मृत्तक रूपन, मृत्तक लक्ष्मीदेवी, मृत्तक हरचन्द लाल है मृत्तक कैलाश के वारिसान तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 तथा मृत्तक लक्ष्मीदेवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 12 तथा मृत्तक हरचन्द लाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 है एवं मृत्तक रूपन मृत्तक नत्थी लाल की पत्नि थी जिसके वारिसान वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण ही है। आराजी मुत0 वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण 2 लगायत 15 के बुजुर्गान नत्थीलाल की आराजी थी जिस पर नत्थी लाल ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक वहैसियत खातेदार के रूप में काश्त की और नत्थी लाल के गुजरने के बाद उसके वारिसान काबिज काश्त है और मौके पर आज भी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है एवं मौके पर फसल खडी हुई है। इस प्रकार आराजी मुत0 वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिए था जबकि आज भी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को उक्त आराजी पर गैरखातेदार दर्ज कर रखा है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन करा पाने के अधिकारी है। वादीगण ने दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है ।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 02/02/22 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे । आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की फसल खडी हुई है इस प्रकार आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है ।मुताबिक कानून वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

........वादीगण

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

3 :– दादरसी ।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 छज्जू राम , पी0डब्लू0 2 हरिओम , के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2038–41, 2043–46, 2051–54,2055–58, 2076 एवं नकल खसरा गिरावरी सम्वत 2014–17, 2063–66 पेश की।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :– 1 आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता/दादा की आराजी है। वर्तमान में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है। आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता/दादा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से ही गैर मौरोसी राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज है। आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादीगण वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण व तरतीवी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 129/0.79, हाल खसरा नम्बर 180/0.79 बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/02/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

14/3/22 :- मुताबिक आदेश दि० 14/3/2022 प्रतिवादीगण क्र० 13,14,15 के निवास स्थान नदबई के स्थान पर ग्राम कैथवाड़ा तहसील पहाड़ी संशोधित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner